265

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी निगरानी 230-III-15

1 ओम प्रकाश द्विवेदी निवासी ग्राम रामपुर तह. बुढार जिला शहडोल म.प्र.

---- आवेदकगण

दिनांक 28-1-15 को श्री एडवो० पी० धाकड़ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

28-1-15
SO

बनाम

रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल साहू निवासी ग्राम रामपुर तह बुढार जिला शहडोल म.प्र.

---- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार बुढार जिला शहडोल के प्र.क. 45/अ-6-अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2014 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

28.1.15

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :-

1. यह कि, दिनांक 14.01.2005 को रमेश प्रसाद साहू के द्वारा अपने घर पर महामृत्युन्जय का अनुष्ठान कराया था जिसके उपलक्ष में आवेदक के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2858/1 रकबा 0.18 एकड़ भूमि को वैदिक विधि विधन से संकल्प लेकर के अनावेदक (पुरोहित) पंडित वेदप्रकाश द्विवेदी का संकल्प लेकर के मौखिक रूप से दान किया था।

2. यह कि, वर्ष 2005 से ही आवेदकगण उक्त भूमि में कब्जा दखल कर मालिकाना अधिकार प्राप्त कर लिया था तथा जब से आज तक उक्त भूमि पर स्थाई रूप से कृषि कार्य करते आ रहे है। तथा उक्त भूमि का सुधार कार्य भी आवेदकगण के द्वारा कराया गया है। इस कारण अनावेदक को किसी प्रकार का कोई शिकायत करने का अधिकार नहीं है। केवल उक्त आदेश की अपील उपचार है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया पारित आदेश अधिकारिता रहित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि, आवेदकगण के द्वारा अनावेदक से उक्त भूमि का स्वामित्व अंतरण के लिये कई बार कहा गया तो आवेदक के द्वारा बोला गया कि मैं आप को संकल्प लेकर दान किया हूँ मेरा धर्म बनता है कि मैं उक्त भूमि का स्वयं के खर्चे से आप के नाम अंतरण करा दूँगा। परंतु ऐसा आवेदकगण के द्वारा प्रार्थी/अनावेदक से कहा गया। कि उक्त भूमि का अंतरण हमारे नाम करा दो नही तो आप के वारिसान से झगड़ा बढ़ेगा। परंतु अनावेदक द्वारा उक्त भूमि का अंतरण नहीं किया। इस कारण आवेदक द्वारा उक्त भूमि की शिकायत

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—230—तीन / 2015 जिला—शहडोल

ओमप्रकाश द्विवेदी विरूद्ध रमेश कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—02—2019	आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बुढ़ार जिला—शहडोल के प्रकरण क्रमांक 45 / अ—6—अ / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 29—12—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 20/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	